

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान

(हिंदी अनुभाग)

फा.सं. 1-4/2025-हि.अ.

अंसारी नगर, नई दिल्ली-29

दिनांक: ११.०५.२०२५

पृष्ठांकन

विषय: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की हिंदी गृह-पत्रिका “स्वास्थ्य सूजन” के दूसरे अंक में प्रकाशन हेतु लेख और रचनाएं आंमत्रित किए जाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय पर भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के दिनांक 08 अप्रैल, 2025 के कार्यालय जापन सं. ई.-11016/27/2021-हिंदी (का.) द्वारा प्रेषित पत्र की एक प्रति संस्थान के सभी विभागों/ अनुभागों/केन्द्रों को सूचना/आवश्यक कार्रवाई हेतु, एतद्द्वारा, पृष्ठांकित की जाती है।

संलग्नक: यथोपरि।

(दिव्या यानामदाला)

वरिष्ठ वित्त सलाहकार एवं
राजभाषा अधिकारी

वितरण:- सभी विभाग/अनुभाग/केन्द्र।

प्रतिलिपि:

1. निदेशक/संकायाध्यक्ष(शैक्षिक/अनुसंधान/परीक्षा) महोदय के प्रधान निजी सचिव।
2. चिकित्सा अधीक्षक महोदया के प्रधान निजी सचिव।
3. अपर निदेशक (प्रशासन) महोदय के प्रधान निजी सचिव।
4. वरिष्ठ वित्त सलाहकार एवं राजभाषा अधिकारी/उप-सचिव महोदय के निजी सचिव।
5. मुख्य प्रशासन अधिकारी/वित्त सलाहकार/अधीक्षण अभियंता महोदय के निजी सचिव।
6. संयुक्त निदेशक (राजभाषा), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
7. प्रभारी-संकाय (कंप्यूटर सुविधा)- कृपया इसे संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड कराने की कृपा करें।

सं. ई-11016/27/2021-हिंदी(का.)

ई-मॉल का मार्गमाला है

भारत सरकार

E-4176 787/25

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग
(राजभाषा प्रभाग)

निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांक: ०८ अप्रैल, 2025

कार्यालय ज्ञापन

विषय: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की हिंदी गृह-पत्रिका 'स्वास्थ्य सृजन' के दूसरे अंक में प्रकाशन हेतु लेख और रचनाएं आमंत्रित किए जाने के संबंध में।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा स्वास्थ्य तथा चिकित्सा संबंधी विषयों तथा साहित्यिक विधाओं पर केंद्रित हिंदी की गृह पत्रिका 'स्वास्थ्य सृजन' के दूसरे अंक का प्रकाशन किया जा रहा है। इस अंक में कहानियों/ कविताओं/ लेखों और रचनाओं के साथ-साथ स्वास्थ्य, चिकित्सा तथा सार्वजनिक रोग-निदान और उपचार आदि से जुड़े विषयों का समावेश होगा। इसके लिए मंत्रालय के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों से उनके द्वारा हिंदी में लिखे गए लेख, निबंध तथा साहित्यिक रचनाएं और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संबंधी विशिष्ट लेख आमंत्रित किए जाते हैं।

2. मंत्रालय तथा इसके अधीनस्थ/संबद्ध/स्वायत्तशासी उपक्रमों/ कार्यालयों तथा स्नातकोत्तर चिकित्सा और आयुर्विज्ञान संस्थानों के सभी अधिकारियों/ विशेषज्ञों/ चिकित्सकों/ कर्मचारियों और लेखकों से चिकित्सा, मेडिसिन, जन-स्वास्थ्य तथा अपने-अपने विशिष्ट विषयों पर सारगम्भित, लेख, निबंध तथा साहित्यिक रचनाएं आमंत्रित हैं, जिन्हें उपयुक्त पाए जाने पर पत्रिका में शामिल किया जाएगा। इस संदर्भ में विशेष उल्लेख है कि रचनाएं मूल रूप से हिंदी में लिखी होनी चाहिए अथवा स्वयं लेखक द्वारा अनूदित हों। मशीनी/ इंटरनेट के जरिए किए गए अनुवाद को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

3. पत्रिका की गुणवत्ता को बनाए रखने के उद्देश्य से सर्वोत्कृष्ट पांच लेखों और पांच कविताओं के प्रत्येक रचनाकार को पुरस्कार स्वरूप 3000/- रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। यदि पुरस्कार के लिए चयनित रचना एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा लिखी गई होगी तो पुरस्कार की यह राशि एक समान विभाजित करके प्रदान की जाएगी। पुरस्कार प्राप्त करने वाले रचनाकारों को प्रमाण-पत्र भी प्रदान किए जाएंगे।

4. प्रकाशन के लिए भेजी गई सामग्री हिंदी भाषा में तथा यूनिकोड फोटो में टंकित होनी चाहिए। प्रेषित सामग्री के साथ लेखक की ओर से मौलिक रचना का प्रमाण-पत्र (नमूना संलग्न) और पासपोर्ट आकार का फोटो भी उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है। अतः अनुरोध है कि सामग्री हार्ड कॉपी में दिनांक 30 जून, 2025 तक अधोहस्ताक्षरी का कार्यालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, कक्ष सं. 754-ए विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 (दूरभाष 011-23060162) को तथा सॉफ्ट कॉपी ईमेल: dd-mohfw@gov.in पर भेज दी जाए।

(बिनोद कुमार)
संयुक्त निदेशक (राजभाषा)

वितरण:-

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सभी अधिकारी/ कर्मचारी।
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सभी अधीनस्थ/ नियंत्रणाधीन कार्यालय और स्वायत्तशासी/ आयुर्विज्ञान संस्थान।

प्रमाण-पत्र

मैं, पदनाम

कार्यालय एतदद्वारा प्रमाणित करती/
करता हूँ कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की गृह पत्रिका के लिए प्रेषित की जा रही सामग्री शीर्षक
..... मेरी मौलिक/ स्वरचित रचना है।

स्थान:

दिनांक:

हस्ताक्षर:

नाम:

मोबाइल नं.